T.I. 124/2023 बनाम बी.पी. दुबेदी

GCMS No. 2023/331

12/3/2024 वकुलाम उप० अभियोजी रू. 3.4 की ओर से श्री राजेश कुमार विद्वान इंस्पेक्टर कानून प्रार्थना पत्र प्रस्तुत / पेश कि. कि अभियोजी 5 का मौखिक साक्ष्य लेकर प्रारंभ / शुरूआत लगाई गई अतः शेष पश्चात कार्यवाही अदालत में लाई जाये की अभियोजी 2.2 की तामीली नहीं हेतु पत्रावली दिनांक 14/03/2024 को पेश हो।

14/3/2024 वकुलाम उप० अभियोजी 1.2.5 के मौखिक साक्ष्य लेकर प्रारंभ / आगाज लगाई गई अतः फिलहाल ही एक पश्चात कार्यवाही अदालत में लाई जाने की कारवाई प्रार्थना पत्र पत्रावली दिनांक 18/3/2024 को पेश हो।

18/3/2024 पत्रावली पेश हुई / आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य / अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 20/3/2024 को पेश हो।

20/03/2024 वकुलाम उप० / प्रार्थी पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई कारण अग्रिम पत्रावली दिनांक 28/03/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

28/03/2024 वकुलाम उप० मूल वाद में PO भी हो चुकी थी अतः अभियोजी विपक्षकारान प्रार्थना पत्र लगाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली नियमानुसार हो निस्तारण के बाद एकमुश्त अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.01 14:18:14 IST
Reason: SelfAttested